बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बहुक्षेत्रक हस्तःक्षेप

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- स्टेकहोल्डर्स का प्रशिक्षण
- एडवोकेसी तथा जागरुकता निर्माण
- समुदाय मोबिलाइजेशन
- जेंडर चैम्पियन
- संस्थानों एवं फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को पुरस्कार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- कानून का प्रवर्तन
- निगरानी समितियों की स्थापना
- संस्थागत प्रसव में वृद्धि
- जन्म का पंजीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- बालिकाओं का सार्वजनिक नामांकन
- ड्रॉप–आउट दर में गिरावट
- बालिका सुलभ स्कूल
- आरटीई (RTE) का प्रभावी कार्यान्वयन

www.wcd.nic.in

http://wcd.nic.in/bbbp-schemes

https://www.facebook.com/WCD.BetiBachaoBetiPadhao

https://www.youtube.com/user/BetiBachaoBetiPadhao

https://apps.mgov.gov.in/descp.do?appid=792

www.vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/child-development-1/girl-child-welfare/beti-bachao-beti-padhao

https://mygov.in/group/beti-bachao-beti-padhao-0/

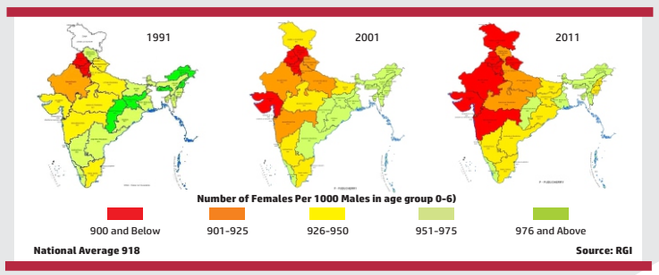

यह बालिकाओं के अधिकारों, आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतीक है।
यह बालिकाओं की गरिमा तथा समानता को भी दर्शाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

कन्या शिशु को महत्व देना और शिक्षा के द्वारा उसका सुदृढ़ीकरण

बाल लिंग अनुपात (सी एस आर) को 0 से 6 वर्ष के आयु के 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें वर्ष 1961 में 976 से वर्ष 2011 में 918 तक गिरावट दर्ज की गई है। यह महिलाओं की असशक्ता को दर्शाता है। यह लड़कियों के प्रति जन्म पूर्व लिंग चयन और जन्म के पश्चात भी उनके भेदभाव को दर्शाता है।

सभी भारतीय समुदायों में प्रबल सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, लड़के की चाहत एवं लड़कियों के प्रति भेदभाव इस समस्या की जड़ है। दहेज के सामाजिक मानदंड, वंशावली, पुत्र द्वारा अंतिम संस्कार की परम्परा, लड़कों के लिए संपत्ति तथा विरासत में वरीयता, जेंडर आधारित भेदभाव तथा हिंसा महिलाओं के प्रति वर्तमान सामाजिक सोच को दर्शाती है। नैदानिक चिकित्सक सुविधाओं की आसानी से उपलब्धता ने इस समस्या को विषम बना दिया है।

संपूर्ण लक्ष्य

कन्या शिशु जन्म को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान करना।

उद्देश्य

» जेंडर पक्षपाती लिंग चयन के उन्मूलन की रोकथाम
» कन्या शिशुओं के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना
» बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत हरियाणा से घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या एवं महिलाओं के निःशक्तीकरण से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने और अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास करती है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए एडवोकेसी तथा राष्ट्रीय मीडिया अभियान तथा 161 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रक हस्तक्षेप के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता से चलाया जा रहा है।

यह कार्यक्रम जिलों में जिला कलेक्टर,उप कमिश्नर की अगुवाई में चलाया जा रहा है। अप्रैल–मार्च, 2015–16 तथा 2016–17 की अवधि में 161 जिलों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अद्यतन एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार इस संबंध में सकारात्मक रूख दृष्टिगोचर हुआ है। इससे पता चलता है कि 104 जिलों में जन्म के समय बालक–बालिका अनुपात में सुधार हुआ है, 119 जिलों में प्रथम तीन माह में प्रसव देखभाल पंजीकरण में प्रगति दर्ज की गई है तथा 146 जिलों में संस्थागत प्रसव में सुधार हुआ है। इसके अलावा, शिक्षा के संबंध में एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डाइस), 2015–16 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन, जो 2013–14 में 76% था, बढ़कर 80.97% हो गया है। चुनिंदा जिलों में प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है ।

इस स्कीम के 161 जिलों में सफल क्रियान्वयन के आधार पर इसका मौजूदा 161 जिलों के अतिरिक्त बहु–क्षेत्रक उपायों के लिए 244 अन्य जिलों में विस्ताार किया गया है ।

सतर्क जिला प्रचार माध्यमों, एडवोकेसी तथा संपर्क के माध्यम से 235 जिलों को कवर किया जाना है। इस प्रकार, शिशु लिंग अनुपात पर गहन सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए देश के सभी 640 जिले (2011 की जनगणना के अनुसार) इसमें शामिल हो जाएंगे।

गुड्डी–गुड्डा बोर्ड (जीजीबी) प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर बेटियों और बेटों के जन्म पर अलग–अलग आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे। इसका प्रयोग एडवोकेसी उपकरण के रूप में घटते सीएसआर को रेखांकित करने के लिए और बेटों के समान ही बेटियों के महत्व के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए किया जाता है ।

जिला
ग्राम पंचायत
ग्राम
माह/वर्ष

गुड्डी गुड्डा बोर्ड

जन्म लिए बच्चों की संख्या	संचित	चालू माह
गुड्डी (बेटी)		
गुड्डा (बेटा)		

आप और मैं क्या कर सकते हैं?

मैं वचन देता/देती हूँ कि

- ✔ परिवार तथा दोस्तों में बेटियों के जन्म का उत्सव मनाऊँगा/मनाऊँगी
- ✔ बेटियों और बेटों को एक समान बड़ा करूँगा/करूँगी और उनके बीच समानता को प्रोत्साहित करूँगा/करूँगी
- ✔ बेटियों को लेकर गर्व करूँगा/करूँगी, पराया धन तथा बोझ जैसी मानसिकता का विरोध करूँगा/करूँगी
- ✔ स्कूलों में लड़कियों के दाखिले और अधिकारिता को सुरक्षित करूँगा/करूँगी
- ✔ लड़कियों को स्वतंत्र होने तथा अपने पसंद की आजीविका के चुनाव के लिए प्रोत्साहित करूँगा/करूँगी
- ✔ जेंडर आधारित भूमिकाऐं एवं रूढ़ीवादिता का सामना करने के लिए पुरुषों और बालकों को वचनबद्ध करूँगा/करूँगी
- ✔ लिंग चयन जांच की किसी भी घटना की सूचना देना
- ✔ महिलाओं और बालिकाओं के लिए अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित तथा हिंसा मुक्त करने के लिए तत्पर रहूँगा/रहूँगी
- ✔ सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा दूँगा/दूँगी
- ✔ विरासत और अपनी संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकारों का समर्थन करूँगा/करूँगी